न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस.

---

मुकदमा नंबर 635/2016

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

तहसीलदार,पचपदरा

1. जेती पत्नि केहराराम कौम मेगवाल, सारणो की बेरी
2 सिणगारी पत्नि भेराराम मेगवाल,सारणो की बेरी
3 गवरी पत्नि नारायणराम मेगवाल नि. सारणो की बेरी
4 कुमी पत्नि गोटाराम मेगवाल नि. सारणो की बेरी
5 आईदानसिंह वल्द पूनमाराम जाट, कुम्पलिया
6 भोमाराम 7 भल्लाराम 8बांकाराम पिता बागाराम ब्राहाण नि. मेरामजी की बेरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

---

दिनांक 01.03.2017

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्रम मेराज की बेरी मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिस पर विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे व कोई जबाब पेश नही किया ।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8. 2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता /ग्रेवल सडक मार्ग मेराज की बेरी के खसरा नंबर 94, 96 मे चल रहा है।

अतः मौजा मेराज की बेरी के मेराज की बेरी रोड से ब्राहाणो की ढाणी कुम्पलिया सरहद के खसरा 94,96 रकबा 3.13 0 2.14 बीगा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्तला कोई उज्र एतराज पेश नही किया।

भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्‌ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी मे भी किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर मौजा मेराज की बेरी मे अवस्थित खसरा नंबर 94, 96 रकबा 3.13 ,2.14 बीगा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। परिशिष्ट 'ब'नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 01.3.2017 को सुनाया गया ।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उपखण्ड कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner